

न्यायालय माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर

188/बाकील/रतनग/शु.रा/2017/4853

1

ग्रामवासी ग्राम रोजाना के नागरिकों के द्वारा

1. गोपाल पिता भेरूलाल जाति प्रजापत
 2. कन्हैयालाल पिता वेणीराम पाटीदार
 3. गणेशराम पिता वेणीराम पाटीदार
 4. राधेश्याम पिता मांगीलाल पाटीदार
 5. अशोक पिता भेरूलाल नाई
 6. राजमल पिता रतनलाल नाई
 7. हिरालाल पिता राधेश्याम पाटीदार
 8. जीवन पिता कन्हैयालाल हरीजन
 9. रूस्तम पिता मांगीलाल हरीजन
- निवासीगण ग्राम रोजाना तहसील जावरा :- अपीलार्थीगण

भाषा अभिभावक श्री. र. भू. थोडा
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 07.11.2017
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

बनाम

1. ग्राम पंचायत रोजाना द्वारा सचिव
ग्राम पंचायत रोजाना
2. ग्राम पंचायत रोजाना द्वारा सरपंच
ग्राम पंचायत रोजाना
3. ताराचंद पिता नाथुलाल
4. रामलाल पिता नाथुलाल
5. परमानंद पिता भागीरथ
6. जगन्नाथ पिता भागीरथ
7. देवचंद पिता बालचंद
8. बट्टीलाल पिता बालचंद
9. भरतलाल पिता बालचंद
10. मोहनलाल पिता भागीरथ
11. कन्हैयालाल पिता बालचंद
12. समरथ पिता बालचंद
13. अम्बाराम पिता भेरूलाल
14. हीरालाल पिता भेरूलाल
15. मांगीलाल पिता भेरूलाल
16. नारायण पिता भेरूलाल
17. अमृतराम पिता अम्बाराम

निरन्तर पेज 2

//2//

18. हीरालाल पिता वर्दीचंद
19. भंवरलाल पिता भागीरथजी
समस्त जाति कुम्हार, समस्त निवासीगण
ग्राम रोजाना तहसील जावरा :- उत्तरार्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 44(2) भू.रा.सं.

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 05/09/2017 न्यायालय
श्रीमान अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण
कमांक 145/अपील/2013-14

जिसके द्वारा न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला रतलाम के
प्रकरण कमांक 23अ59/2012-13 में पारीत आदेश दिनांक
01/01/2013 को स्थिर रखा गया।



न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/रतलाम/भूरा/2017/4853

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-3-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री. ए0आर0यादव अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 5-9-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी की अनुशंसा एवं तहसील न्यायालय के ठहराव के आधार पर म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(2) के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि की नोईयत परिवर्तन कर कुम्हार को मिट्टी के बर्तन बनाने एवं बर्तन पकाने के लिये प्रदाय किये जाने में किसी कोई आपत्ति नहीं होने से दी गई है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।</p>	

Handwritten signature

अध्यक्ष